प्रेस नोट दिनांक 19.12.2024

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना 48 घंटे के भीतर किया गया सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 16.12.2024 को वादी बबलू यादव पुत्र शोभनाथ यादव ग्राम देवरापुर पो० वर्दी सांडा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली से प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगो द्वारा वादी के भाई मुन्ना यादव पुत्र शोभनाथ यादव उम्र लगभग 25 वर्ष की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 256/2024 धारा 103 (1) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर थाना स्थानीय द्वारा विवेचनात्मक प्रचलित की गई।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 18.12.24 को मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा सुरतापुर काली मंदिर के पास मौजूद संदिग्ध व्यक्ति राकेश सिंह यादव उर्फ बल्ली पुत्र रामपती यादव निवासी देवरापुर थाना सकलडीहा चन्दौली उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पुछताछ करने पर मुन्ना यादव की हत्या करने की बात स्वीकार की।

घटना का संक्षिप्त विवरण-गिरफ्तार अभियुक्त पूछताछ करने पर बताया कि मृतक मुन्ना यादव को मैनै करीब एक–डेढ़ माह पहले आधी रात को अपनी पत्नी के साथ मेरे ही घर के उपर वाले कमरे में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया था। उसके बाद मैने अपनी पत्नी व मुन्ना यादव को कई बार समझाया था। तब से मैनें अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन ठीक रहा किन्तु बाद में किसी न किसी बहानें मुन्ना यादव और मेरी पत्नी के बीच सम्बन्ध बनाने की जानकारी मुझे मिल रही थी। मेरी पत्नी व मुन्ना यादव की इस कुकृत्य से समाज में मेरी व मेरे परिवार की बदनामी हो रही थी।

इस बीच अभी कुछ दिन पूर्व मुन्ना यादव की पत्नी पूजा को चहनियाँ के एक अस्पताल में लड़की पैदा हुई है। मैनें मुन्ना को हमेशा के लिए हटानें की ठान ली थी। यह सही अवसर जानकर मैनें मुन्ना से मिलकर बातचीत कर उसे पिता बननें की बधाई देते हुए सारे मामले खत्म करनें की बात कही और बेटी के जन्म पर खानें पीनें की पार्टी करनें एंव रुपया 6000 देने के बहानें मुन्ना यादव को दिनांक 16.12.2024 को अपनी दुकान सत्यम गारमेण्ट्स सकलडीहा पर बुलाया। उसके आनें के पहले ही शाम को मैनें अलीनगर तिराहा सकलडीहा से एक तेज धार वाली सफेद रंग की चाकू खरीदकर अपनी मोटर साइकिल की डिग्गी में रख लिया।

शाम करीब 06.00 बजे मुन्ना यादव के मेरी दुकान पर आनें पर मैनें लगभग 06.30 बजे तक अपनी कपड़ों की दुकान बन्द करके मुन्ना और मैं अपनी अपनी मोटर साइकिल से पपौरा होते हुए अमिलाई माइनर नहर से मुड़ कर महगाँव शराब ठेका पर गये। जहाँ हम दोनों नें अग्रेजी शराब व गिलास आदि लेकर बंशीपुर नहर पुलिया पर चसे गये।

अभियुक्त राकेश सिंह यादव योजना के मुताबिक मुन्ना यादव के पैग में ज्यादा शराब एवं अपनें पैग में नाम मात्र का शराब डालकर पीता पिलाता रहा और मोटर साइकिल की डिग्गी से पूर्व से रखा हुआ धारदार नया चाकू निकालकर अत्यधिक नशे में मदमस्त मुन्ना के

पेट में कई बार चाकू घोपा और गले को कई बार काटा ज्यादा जोर लगानें से मेरा चाकू की मुठिया टूट गई। जब मैनें यह विश्वास कर लिया कि अब मुन्ना यादव मर ही जाएगा तब टूटी चाकू वहीँ मौके पर ही छोड़कर अपनी मोटर साइकिल जो मेरे पास है UP67AH4192 स्प्लेण्डर से वहाँ से अपनें घर चला गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1 राकेश सिंह यादव उर्फ बल्ली पुत्र रामपती यादव निवासी देवरापुर थाना सकलडीहा चन्दौली उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-256/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक डा0 आशीष कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2.निरीक्षक अपराध रमेश यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 जमीलुद्दीन खान थाना बलुआ जनपद चन्दौली
5.उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौकी प्रभारी कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
6.का0 चंदन शाह थाना बलुआ जनपद चन्दौली
7.का0 शिशिर यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
8.म0हे0का0 कौशिल्या देवी